

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां./2019/२१० २


दिनांक: 15/11/19

—:आन्तरिक अंकेक्षण संशोधन कार्यक्रम आदेश:—

कार्यालय के आदेश क्रमांक 2787 दिनांक 19.12.2018 से जारी आन्तरिक अंकेक्षण कार्यक्रम में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

क्र० सं०	अंकेक्षण दल प्रभारी/ सदस्य व जोन का नाम	कार्यालय जिसका अंकेक्षण किया जाना है	आन्तरिक अंकेक्षण अवधि	आदेशित कार्यक्रम	संशोधित कार्यक्रम
1.	श्री रामकिशन AAO I मो० नं० 9829117577 दल सदस्य श्री सनी देवल महावर, कनिष्ठ लेखाकार जोन- जयपुर	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जमवारामगढ़, जयपुर	04/13 से 03/18	15.01.19 से 07.02.19 (17 कार्यदिवस)	08.02.19 से 28.02.19 (18 कार्यदिवस)
		सेटेलाइट अस्पताल, सेठी कालोनी जयपुर	04/15 से 03/18	08.02.19 से 28.02.19 (18 कार्यदिवस)	15.01.19 से 07.02.19 (17 कार्यदिवस)


अतः निर्देशित किया जाता है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(10) वित्त/अंकेक्षण/2015 दिनांक 13.07.2017 के द्वारा जारी आदेशों में दिये गये निर्देशानुसार अंकेक्षण कार्य सम्पादित कर जांच रिपोर्ट निर्धारित समय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवायेंगे।

  
वित्तीय सलाहकार,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर  
दिनांक:

क्रमांक: लेखा-12(प्रोग्राम)/आं.जां.का./2019/

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक (जन स्वा०), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
2. निदेशक (वित्त) एनएचएम राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
4. श्री रामकिशन, AAO I, श्री सनी देवल महावर, कनिष्ठ लेखाकार जोन- जयपुर दल सदस्य को पालनार्थ प्रस्तुत है।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जमवारामगढ़, जयपुर, सेटेलाइट अस्पताल, सेठी कालोनी जयपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम को दी जाकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

  
वित्तीय सलाहकार,  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर